विकास यात्रा
FL

पत्रांक-अ0सं0क0- 05-03/2009......249/

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

श्री हुसैन यूसुफ रिजवी
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

उप सचिव
मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 11/06/09

विषयः- विकास यात्रा-2009 के दौरान प्राप्त आवेदन के त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

प्रसंगः- मुख्यमंत्री सचिवालय के संदर्भ संख्या- 1002930234

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 762 दिनांक 12.05.2009 से प्राप्त सुश्री रुखाना खातून, ग्राम-पोस्ट- हुसैना, जिला-बेगुसराय के आवेदन-पत्र की विषय-वस्तु केन्द्र प्रायोजित अल्पसंख्यक छात्र/ छात्राओं के प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना में छात्रवृत्ति की स्वीकृति है । इस कार्य हेतु इस विभाग ने बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड को डेडिकेटेड सेल बनाया है ।

उक्त डेडिकेटेड सेल से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदिका सुश्री रुखाना खातून (वर्ग- VIII) को 5700/- रुपये (पाँच हजार सात सौ रुपये) की छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है । छात्रवृत्ति की स्वीकृत राशि का वितरण संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जायेगा । इस हेतु ड्राफ्ट बनवाने की कार्रवाई की जा रही है ।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार स्वीकृत 5700/- रुपये (पाँच हजार सात सौ रुपये) की राशि में निर्वहन अनुदान 1000/- रुपये (एक हजार रुपये) का भुगतान छात्रा को होगा और शेष प्रवेश / शिक्षण शुल्क के मद की राशि का भुगतान संबंधित विद्यालय (मध्य विद्यालय, बरबीघी) को किया जायेगा । यदि छात्रा ने विद्यालय को यह शुल्क पूर्व में ही भुगतान कर दिया है, तो विद्यालय छात्रा को इसकी भरपायी करेगा ।

इस प्रकार इस आवेदन को निष्पादित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

10/6

सरकार के अवर सचिव

कुमारी पदाधि
15/6

ज्ञा० 497(0)
16/6/2009